प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

विधानसभा

प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। विधानसभा में आज दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे जिनमें शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों और पैदल चलने वालों के लिए लोक सुरक्षा और सुविधा संशोधन विधेयक–2026 और भारतीय स्टांप विधेयक हिमाचल प्रदेश संशोधन–2026 पर विचार–विमर्श और पारित होगा। इसके अलावा आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस रहेगा जिसमें विधायक कुलदीप सिंह राठौर, भारत और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से प्रदेश के सेब उत्पादकों की अर्थव्यवस्था को संरक्षित रखने हेतु नीति बनाने की सिफारिश करेंगे। इसी प्रकार प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करने हेतु नीति बनाने पर विधायक डॉ. जनक राज संकल्प प्रस्तुत करेंगे। राज्य की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को तकनीकी कौशल आधारित और रोजगारोन्मुखी बनाए जाने के लिए नीति पर विधायक केवल सिंह पठानिया संकल्प रखेंगे। जबकि विधायक त्रिलोक जम्वाल भाखड़ा बांध विस्थापितों की लंबित समस्याओं के समाधान हेतु समग्र पुनर्वास नीति बनाने का संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

एंट्री टैक्स

विधानसभा सत्र से पूर्व आज सुबह भाजपा विधायक दल ने प्रदेश में एंट्री टैक्स और पैट्रोल–डीजल पर सैस लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि एंट्री टैक्स को लेकर प्रदेश के सीमा से लगते क्षेत्रों के लोगों में काफी नाराजगी है क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये प्रभाव डाल रहा है। वहीं पैट्रोल डीजल पर सैस लगाने से भी प्रदेश में लोग प्रभावित हुए हैं।

इस दौरान जयराम ठाकुर ने प्रदेश के मुख्य सचिव पर प्रापर्टी को लेकर लगाए गए आरोपों के मामले में भी मुख्यमंत्री से संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है।

वित्तीय सहायता

केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत 3 हजार 920 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता के तहत जारी की गई यह राशि हिमाचल प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे प्रदेश में पूंजीगत व्यय बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि केंद्र द्वारा दी गई सहायता का उपयोग उन्ही कार्यों के लिए किया जाए जिसके लिए वह दी जा रही है।

वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने इस केंद्रीय सहायता को हिमाचल के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष स्नेह और संवेदनशीलता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों को भौगोलिक कठिनाइयों, सीमित संसाधनों, कम जनसंख्या घनत्व और सीमित राजस्व स्रोतों के कारण विकास में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिसे समझते हुए केंद्र सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

नगर निगम सदन

हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम शिमला के सदन में अब कार्यवाही को डिजिटल बना दिया गया है। बीते कल नगर निगम की मासिक बैठक से इस पहल की शुरूआत की गई है जिसमें सभी पार्षदों को टैबलेट के माध्यम से अपने सवालों के जवाब और एजेंडा उपलब्ध करवाए गए। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि निगम के सदन की कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है।

राहत योजना

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री राहत योजना के प्रभावी कार्यान्वयन व लोगों को जागरूक करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कांगड़ा द्वारा कल धर्मशाला में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई है जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति 1 लाख 50

हजार रुपये तक के तुरंत इलाज का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के 24 घंटों के भीतर पीड़ित को सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती करवाने पर तुरंत सहायता के रूप में ये योजना लाभकारी सिद्ध हो रही है।

रेडियोग्राफर

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जा रहे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और रेडियोग्राफर के पदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि भर्ती निदेशालय से अतिरिक्त पदों की स्वीकृति के बाद अब जूनियर ऑफिस एसीस्टेंट के लिए 117 अतिरिक्त पदों सहित कुल 351 पदों पर भर्ती होगी। इसी प्रकार रेडियोग्राफर के लिए 18 अतिरिक्त पदों को जोड़कर अब कुल 28 पदों भर्ती की जाएगी। सचिव बताया कि इन दोनों पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया के अन्य नियम और शर्तें पहले की तरह ही मान्य रहेंगी।

बेसहारा पशु

बेसहारा पशुओं की बढ़ती संख्या और उन पर अत्याचार के मामलों को देखते हुए अब नाहन जिला प्रशासन सड़कों पर पशु छोड़ने वाले पशु मालिकों के खिलाफ सख्ती से निपटने की तैयारी में है। इस संबंध में एसडीएम नाहन राजीव संख्यान ने बताया कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए नगर परिषद, पुलिस और पशुपालन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सड़कों पर घूम रहे पशुओं से टैग के जरिए उनके मालिकों की पहचान की जाएगी और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए ताकि इस समस्या से निपटा जा सके और पशुओं को क्रूरता से बचाया जा सके।

इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे नमस्कार।